

EASTERN RAILWAY

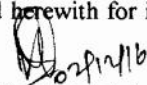
NO E.487/0/ Pt. – IV.

Kolkata, dated : 02/12/2016

ALL CONCERNED

Sub:-	Recommendations of the High Power Committee to review the duty hours of running staff – Re-training of Loco Pilots (running staff) who are involved in Signal Passed at Danger (SPAD) cases---- Recommendation No. 9.12.
-------	--

The following copy of Board's letter No. E (MPP)/2016/19/2, dated: 09.11.2016 (RBE No. 130/2016) addressed to GM, All India Railways and others is forwarded herewith for information and compliance.


(S.Chakraborty)
Senior Personnel Officer/ BGB
for **CHIEF PERSONNEL OFFICER**

Copy of Railway Boards letter No. E (MPP)/2016/19/2, dated: 09.11.2016 (RBE No. 130/2016) addressed to GM, All India Railways and others.

Sub:- Recommendations of the High Power Committee to review the duty hours of running staff – Re-training of Loco Pilots (running staff) who are involved in Signal Passed at Danger (SPAD) cases---- Recommendation No. 9.12.

The High Power Committee was constituted to review duty hours of running staff, and among other recommendations it has recommended vide No. 9.12 as under:-

“ Existing instructions of minimum punishment to staff for SPAD (Signal Passed at Danger) cases should be reviewed to ensure that the decision takes into account the gravity of the offence (repercussions of the SPAD) and also the Loco Pilot's past record”

The recommendation has been considered by the Board to the extent that --“ Prescribed punishment needs to be imposed in established cases of SPAD upon conclusion of accidents enquiry proceedings. However, at the appeal stage, contributory factors and post records of Loco Pilot may be taken into account and punishment reviewed. In exceptional cases running duty may also be restored to such Loco Pilots after re—training and fresh psycho- test”.

In this context, Board has decided the following regarding the nature and duration of re—training of Loco Pilots involved in SPAD cases:-

- (i) Loco Pilots involved in SPAD cases should be sent for Refresher Course for 21 working days.
- (ii) On line training along –with nominated LIs should be given for period of 10 days covering at least 5 round trips.
- (iii) Competency Certificate should be re-issued after checking their knowledge by competent authority.

Compliance of the above instructions may be sent to this office at the earliest.

Hindi version follows.

Sd/- Anuradha Singh / Director (MPP)
Railway Board

Index No. 1041: Recommendations of the High Power Committee to review the duty hours of running staff – Re-training of Loco Pilots (running staff) who are involved in Signal Passed at Danger (SPAD) cases---- Recommendation No. 9.12.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 130/2016

सं. ई(एमपीपी)2016/19/2

नई दिल्ली, दिनांक 07.11.2016

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

निदेशक,
केन्द्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान,

विषय:-रनिंग स्टाफ के ड्यूटी घंटों की समीक्षा करने के लिए हाई पावर कमेटी की सिफारिशें — ऐसे लोको पायलटों का पुनर्प्रशिक्षण जो सिगनल पर गाड़ी को खतरे (एसपीएडी) के निशान से आगे ले गए — सिफारिश सं. 9.12.

रनिंग स्टाफ के ड्यूटी घंटों की समीक्षा करने के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था और इसने अन्य सिफारिशों के साथ-साथ सिफारिश सं. 9.12 के तहत निम्नानुसार सिफारिश की है:

“एसपीएडी (सिगनल पर गाड़ी को खतरे के निशान से आगे ले जाना) मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराध की गंभीरता और लोको पायलट के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए निर्णय लिया गया है, कर्मचारियों को दिए जाने वाले न्यूनतम दंड से संबंधित मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा की जानी चाहिए।”

बोर्ड द्वारा इस सीमा तक उक्त सिफारिश पर विचार किया गया है कि “दुर्घटना की जांच कार्यवाही के निष्कर्ष के अनुसार एसपीएडी के सिद्ध मामलों में निर्धारित दंड लगाया जाना चाहिए। बहरहाल, अपील के स्तर पर सहायक तथ्यों और लोको पायलट के पिछले रिकॉर्ड पर विचार किया जा सकता है और दंड की समीक्षा की जा सकती है। आपवादिक मामलों में ऐसे लोको पायलटों के पुनर्प्रशिक्षण और नए मनोवैज्ञानिक परीक्षण के पश्चात् उनकी रनिंग ड्यूटी को भी बहाल किया जा सकता है।”

इस संदर्भ में, बोर्ड ने एसपीएडी मामलों में अन्तर्ग्रस्त लोको पायलटों की पुनर्प्रशिक्षण के स्वरूप और अवधि के संबंध में निम्नानुसार विनिश्चय किया है:-

- (i) एसपीएडी मामलों में अन्तर्ग्रस्त लोको पायलटों को 21 कार्य दिवसों के लिए रिफ्रेश कोर्स के लिए भेजा जाना चाहिए।
- (ii) नामित एलआई के साथ ऑन लाइन प्रशिक्षण 10 दिनों का प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें कम-से-कम 5 राउंड ट्रिप शामिल हों।
- (iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके ज्ञान की जांच करने के बाद सक्षमता प्रमाण-पत्र पुनः जारी किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त अनुदेशों की अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को शीघ्र भेजी जाए।


(अनुराधा सिंह)

निदेशक (एमपीपी)

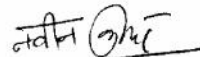
रेलवे बोर्ड -

नई दिल्ली, दिनांक 09.11.2016

सं. ई(एमपीपी)2016/19/2

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ (35 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ (35 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।
3. सेक्रेटरी जनरल, फ़ोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ (5 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ (5 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।
5. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फ़िरोजशाह रोड, नई दिल्ली, (90 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।
6. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।
7. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, 171/बी-3, बसंत लेन रेलवे कालोनी, नई दिल्ली (15 प्रतियाँ)।


सचिव/रेलवे बोर्ड